(115)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा./2017/6268 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.11.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 264/2016-17/अपील.

कंचनबाई बेवा तोलाराम
निवासी ग्राम कनवासा, तह. बदनावर
जिला धार, म.प्र. ..... आवेदक

विरूद्ध

1. जीवन पिता लक्ष्मण
2. लक्ष्मण पिता भैरा
3. मदनलाल पिता मांगीलाल
4. अमृतलाल पिता गणपत
5. मोहनलाल पिता नागुलाल
   निवासीगण ग्राम कनवासा,
   तह. बदनावर, जिला धार, म.प्र.
6. मध्यप्रदेश शासन ..... अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रभाकर सी. चौहान, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/1/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में

संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 09.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कनवासा, तहसील बदनावर के कोटवार बगदीराम पिता लक्ष्मण बलाई की मृत्यु दिनांक 24.11.2014 को होने से रिक्त कोटवार पद की नियुक्ति हेतु संहिता की धारा 230 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील बदनावर द्वारा प्रकरण 01/2014-15/अ-56 दर्ज कर विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाकर कोटवार पद की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। आवेदक के साथ ही पांच अन्य अनावेदकगण द्वारा भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये। आवेदकों के संबंध में थाना प्रभारी, बदनावर, पटवारी तथा ग्राम पंचायत कनवासा से अभिमत प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् तहसीलदार द्वारा प्रकरण में दिनांक 29.06.2015 को आदेश पारित कर, आवेदक कंचनबाई बेवा तोलाराम बलाई को ग्राम कनवासा के रिक्त कोटवार पद पर नियुक्त किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक जीवनसिंह पिता लक्ष्मण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बदनावर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2016 से स्वीकार की जाकर, अनावेदक को ग्राम कनवासा के कोटवार पद पर नियुक्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 09.11.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) कोटवार पद पर नियुक्ति में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को अभिमान्यता देने के संबंध में नियम (1) में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 17.03.1997 को जारी हुई होकर उसका प्रकाशन म.प्र. राजपत्र में दिनांक 23.04.1999 को किया गया है एवं सदर प्रकरण में ग्राम पंचायत कनवासा द्वारा विधिवत ग्राम सभा

आयोजित कर आवेदिका के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर अपना अभिमत तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करने से तहसील न्यायालय द्वारा नियमानुसार आवेदिका की कोटवार पद पर नियुक्ति की गई है, जिसे निरस्त किये जाने में दोनों अपीलीय न्यायालयों ने विधि की गंभीर त्रुटि की है। इस संबंध में 2002 आर.एन. 272 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(2) आवेदिका ग्राम कनवासा के पूर्व मृत कोटवार की निकटतम रिश्तेदार होकर संहिता की धारा 230 के नियम 4(2) अनुसार उसे कोटवार पद पर नियुक्ति में अन्य आवेदकों से प्राथमिकता प्राप्त होने के आधार पर भी तहसील न्यायालय द्वारा संहिता में दिये गये नियमों, प्रावधानों अनुसार आवेदिका की नियुक्ति की गई है, जिसे निरस्त करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों ने विधि की गंभीर त्रुटि की है। इस संबंध में 1995 आर.एन. 135 एवं 1996 आर.एन. 196 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(3) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने इस विधिक बिंदु पर कोई विचार नहीं किया कि संहिता की धारा 230 में कोटवार पद हेतु उसी ग्राम का निवासी होने की कोई शर्त नहीं है और न ही इसके आधार पर किसी को कोटवार पद के लिए योग्य अथवा अयोग्य ठहराया जा सकता है, जबकि सदर प्रकरण में पटवारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में भी आवेदिका को वर्तमान में ग्राम कनवासा में ही निवासरत होना बताया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने बिना किसी विधिक आधार के आवेदिका को अन्य ग्राम की निवासी होने के आधार पर ग्राम कनवासा के कोटवार पद के लिए अयोग्य मानने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है। इस संबंध में 1982 आर.एन. 39, 1992 आर.एन. 67 एवं 1995 आर.एन. 187 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(4) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने इस विधिक बिंदु पर भी कोई विचार नहीं किया कि संहिता की धारा 230 में कोटवार पद हेतु शैक्षणिक या अधिकतम आयु सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है, जबकि सदर प्रकरण में मात्र मतदाता सूची में आवेदिका की त्रुटिवश अंकित आयु 76 वर्ष के आधार पर बिना

कोई जांच किये, बिना आवेदिका को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिये, आदेश पारित करने में अपीलीय न्यायालयों ने विधि की गंभीर त्रुटि की है, जबकि प्रकरण में पटवारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में भी आवेदिका की आयु 59 वर्ष होना स्पष्ट उल्लेखित की गई है एवं आवेदिका के आधार कार्ड में भी उसकी जन्म तिथि 01.01.1959 अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालयों ने संहिता की धारा 230 के नियमों, प्रावधानों व प्रकरण के तथ्यों के विपरीत जाकर अवैधानिक आदेश पारित किये है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में 1980 आर.एन. 318, आर 4155-2/2013 भरतलाल विरूद्ध रामा आदेश दिनांक 13.03.2018 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(5) संहिता की धारा 230 में अस्थायी कोटवार पद पर नियुक्तिाप्राधिकारी तहसीलदार को माना गया है एवं सदर प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा नियमानुसार, विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवेदिका की नियुक्ति अस्थायी कोटवार पद पर की गई थी, जिसमें हस्तक्षेप का कोई विधिक आधार नहीं होने के बावजूद भी उक्त आदेश को निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने अधिकारितारहित अवैध आदेश पारित किये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। इस संबंध में 2001 आर.एन. 283 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(6) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने सदर प्रकरण में न्याय दृष्टांत 1999 आर.एन. 97 लागू होना मानने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है, जबकि उक्त न्याय दृष्टांत के तथ्य सदर प्रकरण से सर्वथा भिन्न होकर उसके आधार पर आदेश पारित करने में अपीलीय न्यायालयों ने विधि की गंभीर त्रुटि की है, जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि आवेदिका तहसील न्यायालय द्वारा की गई उसकी नियुक्ति दिनांक 29.06.2015 से निरंतर नियमानुसार कोटवार पद पर कार्य कर रही होकर उसके कार्यों से आज दिनांक तक ग्राम के लोग, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों को कोई शिकायत नहीं रही है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 2 से 5 के सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अनावेदक क्र. 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में समवर्ती निष्कर्ष दिये गये हैं तथा आवेदिका की अपीलें दोनों न्यायालयों द्वारा निरस्त की गई हैं।

(2) आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किये, उसमें ग्राम चिडावद की निर्वाचन सूची भी प्रस्तुत की है। उस सूची में उसका क्रमांक 959 गृह क्रमांक 61 क्रमांक एम.पी./36/301/399042 पर अंकित है, जिसमें उसकी उम्र 76 वर्ष अंकित है। इस संबंध में राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत 1999 रा.नि. 97 प्रस्तुत है, जिसमें यह प्रतिपादित किया कि अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष मानी गई है और वृद्धावस्था के कारण अक्षम मानकर नियुक्ति नहीं दी गई है।

(3) इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अंतिम पैरा में एवं अपर आयुक्त द्वारा अपने पारित आदेश पैरा 5 में उल्लेखित किया कि आवेदिका ग्राम कनवासा की निवासी न होकर ग्राम चिडावद जिला देवास की निवासी है तथा मतदाता सूची क्रमांक में उसकी उम्र 76 वर्ष अंकित है।

(4) इस संबंध में आवेदिका द्वारा मतदाता सूची में संशोधन हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तथा वारिस परिवार का सदस्य होने के संबंध में पटवारी से कोई प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया है। स्वयं आवेदिका द्वारा इस न्यायालय के समक्ष लिखित तर्क के पैरा 4 में उम्र के संबंध में कथन किए हैं, परंतु त्रुटि के संबंध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर नये सिरे से आधार कार्ड की फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, जो बिना आवेदन पत्र के प्रस्तुत की होने से अभिलेख पर नहीं ली जा सकती, क्योंकि आवेदिका द्वारा यह दस्तावेज अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत न कर लिखित तर्क के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया होना प्रतीत होता है।

(5) आवेदिका द्वारा मृतक बगदीराम के प्रथम पंक्ति की वारिस किस प्रकार हुई, इसका कोई उल्लेख आवेदन पत्र अथवा दस्तावेज अथवा अभिवचन से स्पष्ट नहीं किया हैलिखित तर्कों के इस संबंध में 1999 आर.एन. 97, 1999 आर.एन. 232, 2005 आर.एन. 104, 1998 आर.एन. 289, 1985 आर.एन. 26 एवं 1993 आर.एन. 59 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त विधिक बिंदुओं के आधार पर आवेदिका द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण कोटवार नियुक्ति के संबंध में है। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आवेदिका कंचनबाई को कोटवार नियुक्त किए जाने संबंधी आदेश को अनावेदक जीवन द्वारा प्रस्तुत अपील में यह मानते हुए कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदिका के ग्राम कनवासा में नहीं रहने एवं उसकी आयु अत्यधिक वृद्धावस्था दर्शाती है इस संबंध में जांच किया जाना न मानते हुए निरस्त किया गया है तथा अनावेदक क्र. 1 जीवन को अस्थाई कोटवार नियुक्त किए जाने के आदेश दिए हैं । उनके आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आलोच्य आदेश द्वारा की है । प्रकरण के तथ्यों एवं प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए दोनों अपीलीय न्यायालय के आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं हैं, क्योंकि तहसीलदार के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा रिक्त कोटवार के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त 6 आवेदन-पत्रों के संबंध में थाना प्रभारी से रिपोर्ट प्राप्त की गई है तथा पटवारी से जांच प्रतिवेदन बुलाया गया है, ग्राम पंचायत से भी अभिमत लिया गया है । थाना प्रभारी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदिका के विरुद्ध कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है एवं पटवारी प्रतिवेदन में चौकीदार के मरने के उपरांत से आवेदिका के ग्राम कनवासा में रहने का उल्लेख किया गया है । ग्राम पंचायत द्वारा भी अपने प्रतिवेदन में सर्व सम्मति से आवेदिका को अस्थाई कोटवार नियुक्त किए जाने की अनुशंसा की गई है। तहसीलदार द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर ही अनेक न्यायदृष्टांतों का हवाला देते हुए आवेदिका को अन्य आवेदकों की तुलना

में प्राथमिकता क्रम में सर्वाधिक उपयुक्त पात्र योग्य उम्मीदवार मानते हुए उसे अस्थाई रूप से कोटवार पद पर नियुक्त किया गया है । तहसीलदार के आदेश में कोई विधिक एवं न्यायिक त्रुटि नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को पूर्णतया अनदेखा करते हुए अभिलेख के विपरीत आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि की गई है। इस कारण उनका आदेश भी निरस्त किए जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तथा अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बदनाबर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2016 निरस्त किए जाते हैं। तथा तहसीलदार तहसील बदनाबर जिला धार द्वारा दिनांक 29.06.2015 को पारित आदेश स्थिर रखा जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर